

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 30.09.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. विनोद पुत्र संतराम निवासी मैलिया थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मनोज कुमार, का0 अंकित।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 233 वाहनों से 267,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 30.09.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 233 वाहनों से 267,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने अपहरण एवं धमकी के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन तथा महिला अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पुलिस द्वारा महिला अपराध से संबंधित अभियोग मु0अ0सं0 383/2024 धारा 366, 366 भादवि के मामले में वांछित अभियुक्त वासुदेव उर्फ बासदेव पुत्र रामप्रकाश निवासी कैथल थाना चन्दौसी जनपद संभल को को मेंहदावल बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

विदित हो कि वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अपनी पुत्री के अपहरण एवं गाली-गलौज व धमकी देने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त वासुदेव उर्फ बासदेव उपरोक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

वासुदेव उर्फ बासदेव पुत्र रामप्रकाश निवासी – कैथल थाना चन्दौसी जनपद संभल।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, उ0नि0 श्री विरेन्द्र मिश्रा, का0 अभिषेक सिंह, का0 रौशन कुमार।

*संतकबीरनगर पुलिस द्वारा महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ त्वरित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।